(26)

हमारी बिटिया अभियान

12.03.2014

मिनट्स (बैठक के कार्यवृत्त)

भारत की जनगणना 2011 में मध्य प्रदेश राज्य के शिशु लिंग अनुपात में 14 बिन्दुओं (932-918) की गिरावट आई है | पूर्व के वर्षों में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) को नियंत्रित करने के लिए एवं पी.सी.पी.न.डी.टी अधिनियम के क्रियान्वयन को सुदृढ करने के प्रयासों पर असंतोष प्रकट किया गया| स्वास्थ्य विभाग की भूमिका 'हमारी बिटिया अभियान' के अंतर्गत रैगुलेटरी होने के कारण एवं पी.सी.पी.न.डी.टी अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन का है जो कि 'बेटी बचाओ अभियान' से प्रथक है | अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है | अतः इस सन्दर्भ में उचित रणनीति बना कर **'हमारी बिटिया अभियान'** के अंतर्गत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है :

<u>रणनीति:</u> 1. **'हमारी बिटिया अभियान'** का क्रियान्वयन रैगुलेटरी रूप में किया जायेगा | जिलों को अभियान के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों कि जानकारी चेकलिस्ट द्वारा दी जाएगी जिसमें वर्णित बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की जानकारी प्रति शुक्रवार प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में होने वाली साप्ताहिक रिव्यु बैठक में ली जाएगी |

2. प्रत्येक जिले में स्क्रीनिंग ड्राइव की जाएगी जिसमें अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोनोग्राफी कन्द्रों का निरिक्षण जिला समुचित प्राधिकारी दवारा किया जायेगा | अपंजीकृत सोनोग्राफी कन्द्रों की जानकारी प्राप्त कर उनपर अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी |

3. निम्नलिखित हितधारकों (stakeholders) के सामंजस्य से अभियान चलाया जायेगा |

1. राज्य सक्षम प्राधिकारी |
2. राज्य सलाहकार समिति |
3. जिला समुचित प्राधिकारी |
4. जिला सलाहकार समिति |
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी |
6. न्यायपालिका |
7. मीडिया |
8. स्टेट मेडिकल कौंसिल |
9. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन |
10. प्राइवेट चिकित्सक |
11. डॉक्टर एसोसिएशन |
12. डेवलपमेंट पार्टनर्स |
13. स्वयं सेवी संस्थाएँ |

4. www.hamaribitiya.in वेबसाइट को के विषय में प्रचार प्रसार किया जायेगा | इस वेबसाइट को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट से लिंक किया जायेगा |

<u>एक्शन प्लान:</u> अभियान की कार्ययोजना निम्न होगी |

1. अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिख कर (प्रमुख सचिव के माध्यम से) केन्द्रों के निरिक्षण हेतु निर्देशित किया जायेगा एवं चेक लिस्ट भेजी जाएगी | चेक लिस्ट के अनुसार प्रति सप्ताह 5 केन्द्रों का निरिक्षण किया जाना एवं निरिक्षण रिपोर्ट राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रति गुरुवार डाक तथा e-mail द्वारा भेजा जाना अनिवार्य होगा | जिलों द्वारा राज्य समुचित प्राधिकारी को भेजी जाने वाली उपरोक्त जानकरी का प्रारूप बना कर जिलों को दिया जायेगा |

2. इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखे जाएँगे जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी |

3. इंदौर एवं ग्वालियर के जिला कलेक्टरों को ट्रैकर डिवाईस का प्रयोग, जो कि तकनिकी, कानूनी एवं नैतिक रूप से गलत है,को तत्काल बंद किये जाने के विषय में पत्र लिखा जायेगा (प्रमुख सचिव के माध्यन से) |

4. प्रमुख सचिव के माध्यम से स्टेट मेडिकल कौंसिल को प्राइवेट सोनोग्राफी केन्द्रों द्वारा किये जा रहे गैर कानूनी एवं अनैतिक कार्यों के विषय में उचित कार्यवाही किये जाने के लिए पत्र लिखा जायेगा |

5. मीडिया को पत्र द्वारा 'हमारी बिटिया' अभियान के विषय में जानकारी दी जाएगी एवं उनके लिए कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा |

6. प्रमुख सचिव के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश को अभियान की जानकारी देते हुए राज्य जुडिशीयल अकादमी, जबलपुर में कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में पत्र लिखा जायेगा |

7. जिला कलेक्टर भिण्ड एवं मुरैना को इन जिलो में राष्ट्रीय निरिक्षण दल द्वारा की गयी सील एवं जप्ती की कार्यवाही के विषय में न्यायलय में प्रकरण पंजीकृत करने के विषय में पत्र लिखे जाएँगे |

8. जिला कलेक्टर जबलपुर को राज्य निरिक्षण दल द्वारा पाई गयी अनियमिताओं के विषय में कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा जायेगा |

9. 'हमारी बिटिया' अभियान के अंतर्गत स्टिंग ऑपरेशन के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन दिए जाएँगे | विडियोग्राफी द्वारा स्टिंग ऑपरेशन करने में सक्षम संस्थाएँ इसके अंतर्गत आवेदन दे सकती है| इसमें 1,00,000 /- रुपये तक के पुरस्कार का प्रावधान है |

10. www.hamaribitiya.in वेबसाइट को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट से लिंक किया जाता है।

बैठक में उपस्थित सदस्य :

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रवीर कृष्ण,
2. श्री तेज राम जाट, राज्य प्रोग्राम अधिकारी, UNFPA
3. डॉक्टर शालिनी कपूर, Consultant, UNFPA
4. श्रीमती स्वाति सिंह, Consultant, NRHM